कार्यालय वनमण्डलाधिकारी

दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कार्यालय –दूरभाष (07856) 252228, फैक्स–252305 निवास –(07856) 252439 E-mail:-dfodnt@rediffmail.com

क्रमांक/क.त.अ./ 2716 दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 /04/2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषयः– नेरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत्।
पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Whater/34531/2018

संदर्भः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रब्रध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू– प्रबंध/वि.वि. /115–30/2757 दिनांक 10.11.2016.
2. सहायक अभियंता, लो. स्वा. यां. परि. उपखण्ड – 4 जगदलपुर का पत्र क्रमांक/07 जगदलपुर दिनांक 07.02.2019

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत नेरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु रकबा 0.725 हें. वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन के द्वारा पंजीयन आबंटन किया गया है।

अवेदक संस्थान सहायक अभियंता लो.स्वा. यां. परियोजना उपखण्ड क्रमांक – 4, जगदलपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् नेरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु निर्धारित चेक लिस्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	रकबा (हें. में)	लंबाई (कि.मी.)
1	दंतेवाड़ा	0.725	25.40 कि.मी.
	योग :–	**0.725**	**25.40 कि.मी.**

1. आवेदनकर्ता नेरली जल प्रदाय योजनान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1838,1845,1844,1851,1736 रकबा 0.381 हें. एवं संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1701,1702,1653 रकबा – 0.102हे.एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 0.242 हें. कुल रकबा 0.725हे. क्षेत्र मे वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है प्रस्तावित वन भूमि एवं उसके आस–पास के न्यूनतम 10 कि.मी. तक का वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र मे संलग्न है।
2. प्रस्तावित व्यपवर्तित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे उपरांन्त जिओ को–ऑडिनेट KML Shape file संलग्न है।
3. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव मे शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क राशि 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 18000/– कुल राशि रूपये 24000/– जमा किया गया है, जिसे पी.डी. खाते मे जमा किया गया है।

Scanned by CamScanner

4. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित एस.डी.एल.सी. का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

5. प्रकरण 5.00 हें. से कम होने के फलस्वरूप वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है।इस हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 18015/54/2010–NM-IV दिनांक 10.04.2013 की छायाप्रति संलग्न है।

6. प्रस्तावित क्षेत्र मार्ग के समानान्तंर लाईन निर्माण मे किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नही होने के कारण वृक्ष विदोहन कि आवश्यकता नही है।

7. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना मे आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है।

8. प्रस्तावित गैर वानिकी प्रकरण हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. प्रकरण मे आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु वचन पत्र संलग्न है।

10. प्रकरण मे दंतेवाड़ा वनमण्डल अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1838,1845,1844,1851,1736 रकबा 0.381 हें.एवं संरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक – 1701,1702,1653 रकबा – 0.102हे एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा0.242 हें. कुल रकबा 0.725हे. हें. वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का फार्म 'ए' व फार्म 'बी' पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेब साईट पर अपलोड कर प्रमाण पत्र संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिंद्वान्तो के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 04 प्रतियों मे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अनुरोध है।

संलग्न :– **प्रस्ताव 04 सेट में।**

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

पृ.क्रमांक/क.त.अ./ 2717 दन्तेवाड़ा, दिनांक 25 /~~02~~ 04/2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सहायक अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी परियोजना उपखण्ड – 4 जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

D:\DM Section\Letter 2019.docx

Scanned by CamScanner